

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आगेलेख वाद संख्या-384/७-२०२०

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
६.३.२०	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१६ सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जॉच प्ररम्परा की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नानित विवरणी की भूमि मौजा- नीलीहा थाना न०- ११७ खाता संख्या- १० प्लॉट संख्या- रकबा- ४९३३० एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी-II के जिल्द संख्या- जमाबदी रैयत गोलाम ४५१८ पिठा- के पृष्ठ संख्या- १२५ पर कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबदी दिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती हैं जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि व्यों नहीं उक्त जमाबदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अगेलेख दिनांक- २०.३.२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> ६३०८ अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </p>	

20.03.2020

आभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के दंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु आभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहता को भेजे।

६३०/००
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर